दिनांक 30.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 30/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हरदोई/थाना कछौना

•15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनॉकः 30.05.2024 को थाना कछौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कीरत मोड़ शमसान घाट तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कपिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कछौना पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कछौना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कपिल निवासी समसपुर थाना कछौना जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना खखरेरू

• लूट की घटना का अनावरण

• पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट के 13 हजार 150 रूपये नगद

• लूट के सोने–चाँदी के आभूषण

• चोरी की 01 मोटर साइकिल

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 30.05.2024 को थाना खखरेरू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कबरे तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मोहम्मद जीशान 2–आसिफ उर्फ छोटा घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–तकशीर सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 13 हजार 150 रूपये नगद, लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.04.2024 को थाना खखरेरू क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खखरेरू पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आसिफ उर्फ छोटा के विरूद्ध जनपद कौशाम्बी, फतेहपुर, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त मोहम्मद जीशान के विरूद्ध जनपद कौशाम्बी, फतेहपुर, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खखरेरू पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद जीशान निवासी ग्राम अमाव थाना खागा जनपद फतेहपुर।

2–आसिफ उर्फ छोटा निवासी ग्राम इजरा बुजुर्ग थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

3–तकशीर निवासी ग्राम सोहद मऊ थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–लूट के 13 हजार 150 रूपये नगद।

2–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

• पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 30.05.2024 को थाना सिरसागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला राई मोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–छोटे उर्फ पार्थ 2–अनुज घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छोटे उर्फ पार्थ निवासी नगला बाग थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2—अनुज निवासी नगला गुलाल थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना धौलाना

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 02 कार, 04 मोटर साइकिल, 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

दिनांक 30.05.2024 को थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गालन्द नहर पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1—निशान्त 2—अर्जुन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 कार, 04 मोटर साइकिल, 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—निशान्त निवासी मांचड थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2—अर्जुन कुमार निवासी दीनानाथपुर पुठ्ठी थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 02 कार, 04 मोटर साइकिल, 02 फर्जी नम्बर प्लेट।

जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 30.05.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भटीपुरा के पास से 03 अभियुक्तों 1—शनि 2—भोला 3—अनिल को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शनि निवासी ग्राम लौड़ी थाना लवकुश नगर जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

2–भोला निवासी ग्राम लौड़ी थाना लवकुश नगर जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

3–अनिल निवासी ग्राम सिंहपुर चरणपादुका थाना महराजपुर जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना शमसाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना शमसाबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–अशोक 2–विनोद को धारा 302/34/307 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 28–28 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–कुलदीप को धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजन उर्फ रज्जन को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद ललितपुर/थाना जखौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना जखौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कंगू सहरिया को आजीवन कारावास व 60 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद ललितपुर/थाना जखौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठिन आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना जखौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को कठिन आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जनक को सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना जयसिंहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना जयसिंहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त महेन्द्र को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तुलसीराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना चकरघट्टा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना चकरघट्टा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुकालू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना मारकुण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बुल्ली उर्फ ओमदत्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2024 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल उर्फ रामबाबू गिरफ्तार।</u>

दिनांक 30–05–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2024 धारा 147/148/149/324/341 /307/302/120बी भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल उर्फ रामबाबू को लोनी डिपो कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– राहुल उर्फ रामबाबू पुत्र बाबुराम शर्मा निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

लोनी डिपो गेट के पास थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद दिनांक 30–05–2024, समय 13.00 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सुनील कुमार, हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 विनय कुमार एवं हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद गाजियाबाद में भ्रमणशील थी, इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 288/2024 धारा 147/148/149/324/341/ 307/302/120बी भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राहुल उर्फ रामबाबू लोनी डिपो, गाजियाबाद पर के पास मौजूद है जो कही जाने की फिराक में खड़ा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त तत्परता से कार्यवाही करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर श्री कृष्ण कुमार मौर्य को अवगत कराते हुए उनको साथ लेकर अभियुक्त राहुल उर्फ रामबाबू को समय करीब 13.00 बजे लोनी डिपो गेट के पास से गिरफ्तार कर कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उर्फ रामबाबू ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 05–05–2024 को विक्रम मावी निवासी टीला शहवाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें वह बच गया था। पुनः दिनांक 11–05–2024 की रात्रि में पाईप लाइन रोड पर विक्रम मावी की घर जाते समय उसकी हत्या कर दिया था। जिस सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत हुआ था तब से अपनी गिरफ्तार से बचने के लिए वह इधर उधर छिपता फिर रहा था तथा आज दिल्ली भागने की फिराक मे था।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उर्फ रामबाबू के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद में मु0अ0सं0 288/2024 धारा 147/148/149/324/341/307/302/ 120बी भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–फेन्साडिल कफ सिरप को नशे के रूप में प्रयोग हेतु अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेजने वाले गिरोह के 02 सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 29–05–2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को नशे के रूप में प्रयोग हेतु अवैध रूप से पश्चिम बंगाल फेन्साडिल कफ सिरप भेजने वाले गिरोह के विरूद्ध थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ में पंजीकृत मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– पवन गुप्ता पुत्र गयानाथ गुप्ता निवासी केएन 546 आलमनगर, थाना तालकटोरा, जनपद लखनऊ।

2– शैलेन्द्र आर्या पुत्र मेढ़ई लाल आर्या, निवासी एमआईजी 1/20, सेक्टर–आई, थाना जानकी पुरम, जनपद लखनऊ।

बरामदगी–

1– 04 अदद मोबाइल।

2– 01 आधार कार्ड।

3– नगद 1000/– रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः– एक्सान मांटेसरी इन्टर कालेज के सामने, कैम्पवेल रोड, जनपद लखनऊ दिनांक 29–05–2024 समय करीब 23:30 बजे।

विगत काफी दिनों से विभिन्न प्रकार के कफ सिरप व अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इसका अवैध भण्डारण व बिहार, झारखण्ड, आसाम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में सप्लाई होने की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्पेशल टॉस्क फोर्स लखनऊ व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 की संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था। जिसके क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 08–04–2024 को एसटीएफ व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 की संयुक्त टीम द्वारा एक बंद बाडी टाटा

ट्रक नं0 HR-38V4150, TATA 1109 में लोड 52 पेटी फेन्साडिल कफ सिरप को ट्रान्सपोर्ट नगर, लखनऊ से कब्जे में लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में मु0अ0सं0 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत कराते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग की विवेचना अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 के आदेश से एसटीएफ को स्थानान्तरित की गयी थी।

जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री आदित्य सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान उक्त ज्ञात हुआ कि दिनांक 08-04-2024 को बरामद फेन्साडिल कफ सिरप को लोड कराने वाले तथा गोदाम को खाद्य विभाग की टीम द्वारा सील कर दिये जाने के उपरान्त सील तोड़कर शेष माल को गायब करने वाले उक्त गिरोह के पवन गुप्ता एवं शैलेन्द्र आर्या का नाम प्रकाष में आया। निरीक्षक/विवेचक श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में प्रकाष में आये अभियुक्तों की तलाष की जा रही थी, प्रकाष में आये अभियुक्तो को दिनांक 29-05-2024 को एक्सान मांटेसरी इन्टर कालेज के सामने, कैम्पवेल रोड, जनपद लखनऊ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि वह लोग पैसे के लालच में आकर कुछ लोगों के साथ मिलकर फेन्साडिल कफ सिरप को अवैध रूप से कूटरचित ई-वे बिल व चालान बिल्टी के माध्यम से मंगवाकर पश्चिम बंगाल व बंग्लादेश में सप्लाई कराते है। इस काम से इनको काफी मुनाफा होता है। दिनांक 08-04-2024 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इसके गोदाम को सील किया गया था। जिसमें भारी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप की पेटियॉ बची हुई थी। कोई सबूत न मिले जिसके लिये यह लोग सील तोड़कर शेष बचा हुआ कफ सिरप गायब कर दिये थे।

उल्लेखनीय है कि औषधियों का भण्डारण व क्रय-विक्रय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन निर्गत लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है तथा औषधियों की बिक्री उक्त नियमावली के नियम 65 के अनुसार निर्गत विक्रय बीजक के आधार पर ही किया जा सकता है ऐसा न करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-18/27 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ कमिश्नरेट में पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस के माध्यम से विवेचक एसटीएफ द्वारा की जा रही है।

———————